



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-29.03.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 03-03 माह का कठोर कारावास एवं कुल 6000-6000/- रु0 अर्थदण्ड ।**

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-430/24 धारा 305(a),317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- जैकी सिंह पुत्र नंदन सिंह निवासी गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ (म0प्र0) व 2- कालू सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी कड़िया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ (म0प्र0) को थानाध्यक्ष लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-29.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय ACC MAIN(UPSEB) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 1- जैकी सिंह व 2- कालू सिंह उपरोक्त को अंतर्गत धारा 305(a) बी0एन0एस0 मे 03-03 माह के कठोर कारावास व 03-03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 317(2) बी0एन0एस0 मे 03-03 माह के कठोर कारावास व 03-03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।